

परीक्ष कर के गुण →

DATE

(i) सुविधाजनक :- → परीक्ष कर सुविधाजनक होती है क्योंकि यह वस्तु के मूल्य के साथ-साथ मिला रहता है। जिससे करदाता को भुगतान करने में कठिनाई नहीं होती है।

(ii) न्यायपूर्ण → Mill के अनुसार यह कर न्यायपूर्ण है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लगाया जाता है। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है।

(iii) अप्रत्यक्ष कर लानेदार :- → समय और परिस्थिति के अनुसार अप्रत्यक्ष कर में परिवर्तन कर दिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार आय प्राप्त कर लिया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर कुछ खास वस्तुओं के उपयोग पर प्रविंध लगाने का भी एक अंग है। यह कर शराब तथा विदेशी वस्तुएं इत्यादि पर बड़े पैमाने पर कर लगाया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर के दोष →

① यह कर अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों के करदान क्षमता पर बिना ध्यान दिए लगाया जाता है।

② इस नया को वसूलने में बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। इसलिए यह कर बहुत खर्चीला है।

③ इस कर में बराबर अनिश्चितता बनी रहती है।

④ सरकार नहीं जानती है कि कर के रूप में इस वष कितनी आय प्राप्त होगी।

(iv) इस कर में भी बड़े पैमाने पर चोरी होती है।

उपर हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का तुलनात्मक किया है और पाया है दोनों के अपने-अपने गुण-दोष हैं। वल निष्कर्ष पर पहुँचना बड़ा ही मुश्किल है कि दोनों में कौन कर अच्छा है क्योंकि दोनों कर लगभग आवश्यक हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया है कि कर प्रणाली को अधिक उपभुक्त एवं न्यायसंगत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों ही करों को लगाया जाए। डाल्टन का भी बल सम्बन्ध में कहना है कि प्रत्यक्ष और परीक्ष पर दोनों मिलकर सरकार के लिए एक बहुत बड़े आय का आधार तैयार करते हैं और एक और प्रत्यक्ष कर धानियों के फॉकट से ज्यादा पैसा निकालने में सक्षम होता है तो अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों के वैसे आदतों पर निभंरण लगाता है जो व्यक्ति के लिए हानिकारक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है यहाँ पर दोनों कर आय का कुल 30%.

Direct तथा परीक्ष कर 60% अनुभदान करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रत्यक्ष कर परीक्ष कर से अच्छा है। लेकिन परीक्ष करों को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है अतः भारत जैसे विकासशील देश में दोनों का समन्वय ही आवश्यक है।

हाल के दिनों में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक GST (Goods and Service Tax) में 6% में मिलाया जाता है जो वर्तमान की सरकार द्वारा मिलाया गया है।